134

नि 2765-I-16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

।।नीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–श्योपुर

नवल सिंह पुत्र श्री घुरसिंह कुशवाह, निवासी ग्राम – सलापुरा, तहसील व जिला श्योपुर (म.प्र.) —— आवेदक

विरूद्ध

रामदीन पुत्र श्री दर्शन लाल कुशवाह, निवासी – कुकथरी, तहसील अम्बाह, जिला मुरैना। (म.प्र.)

—— अनावेदक

<u>न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 52/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 20.07.2016 को विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

।।नीय महोदय,

आवेदक की ओर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत है कि –

।हकि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर का आदेश अवै। अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा आवेदक को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर दिये बिना ही जो आदेश पारित किया गया, वह नैसर्गिक के न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से ही प्रथमदृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है।

। यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 30.07.2005 की ।आवेदक को नियमित जानकारी थी, ऐसी स्थिति में उसकी ओर से जो अपील 10 वर्ष प्रस्तुत की है, वह स्पष्टतः अवधि वाह्य है, ऐसी स्थिति में उक्त अपील

(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण कमांक 2765–एक/2016 निगरानी जिला श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभा''ाकों आ। के हस्ताक्षर
17–8–16	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 52/2014–15 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 20–7–16 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के अंतरिम आदेश दिनांक 20–7–16 के अवलोकन पर परिलक्षित है कि उन्होंने अपील प्रकरण में अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन पर पक्षकारों को सुनकर विलम्ब क्षमा किया है। प्रकरण में विचार योग्य है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार श्योपुर के प्र.क. 24/05–06अ–6 में पारित आदेश दिनांक 30–7–2005 के विरूद्व दिनॉक 14–8–2015 को प्रस्तुत अपील में हुये विलम्ब को क्षमा करने में किसी प्रकार की त्रृटि की है ? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 सहपठित अवधि विधान की धारा 5 में प्रावधान है कि विलम्ब के सम्बन्ध में न्यायालय स्वविवेक का उपयोग कर समयावधि के बिन्दु पर विचार कर निर्णय ले सकते हैं। अतः निगरानी सारहीन पाये जाने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है। इस आदेश की एक प्रति अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर को भेजी जावे। सदस्य	